झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/176/2003— 58/184195.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ंतरिक वित्तीय सलाहकार से ौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **पलामू जिलान्तर्गत धनकाई जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 394.78 लाख (रूपये तीन करोड़ चौरानवे लाख अट्ठत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत धनकाई जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 394.78 लाख (रूपये तीन करोड़ चौरानवे लाख अट्ठत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. धनकाई जलाशय योजना से एक मुख्य नहर निकलती है जिसकी कुल लम्बाई 2.82 कि०मी० है।

4. इस योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 192 हे० खरीफ है।

5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा इस योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 394.78 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है :—

SL. No.	SUB HEAD		COST (Rs)
	I-Works		
1.	A-Preliminary-Survey Work		200000.00
2.	D-Regulator - i) Construction of outlets.	23 Nos.	834130.00
3.	E-Fall - i) Repair of Falls	5 Nos	65380.00
4.	F-CD Works - i) Repair of cross-drainage works.	11 Nos.	792361.00
5.	G-Bridge i) Repair of Culvert. ii) Construction of HP Crossing.	 7 Nos. 5 Nos	 122540.00 1977000.00
6.	L-Earth Work i) Bed Clearance and bank Strengthening. ii) Lining		 5045625.00 20797547.00
7.	O-Miscellaneous	1 No.	1200000.00
8.	R-Communication i) Repair of WBM approach road. ii) Repair of culverts. iii) Construction of culverts.	 18 Nos. 9 Nos.	 7142000.00 417980.00 852840.00
9.	V-Water Course.		30700.00
	Total of I-Works (including 12% GST, 1% Labour Cess & 0.5% Contingency)		**3,94,78,111.00**
		Say Rs.	**3,94,78,000.00**

6. इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें :–

i) धनकाई जलाशय योजना के मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 2.82 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

ii) इसके Village Channel के कि०मी० 0.00 से 0.70 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य।

iii) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा– Outlets, CD, Falls, Super Passage एवं Culverts का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

iv) गढवा–डाल्टेनगंज सड़क के बांये तरफ से धनकाई बाँध तक 3.50 कि०मी० WBM पहुँच पथ का मरम्मति कार्य।

7. इस कार्य के उपरान्त 90 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

8. यह पुनरूद्धार कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में वर्ष 2019–20 तक पूर्ण किया जायेगा।

9. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

10. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–49S470180800540545) के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

11. वर्ष 2018–19 के लिये स्वीकृत बजट में पूर्ण सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 30000.00 लाख

12. इस योजना का कार्यान्वयन जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा होगें।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. कार्य के लिये राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–सम्य्र पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह) 31.1.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/176/2003— 58/18-19 प्र.सी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/176/2003— 58/18-19 प्र.सी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/176/2003— 58/18-19 प्र.सी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/176/2003— 58/18-19 प्र.सी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/176/2003— 58/18-19 प्र.सी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)